भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4530

28 मार्च, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों को वित्तीय सहायता

4530. श्री रमेश बिन्द:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, फसल बीमा के माध्यम से किसानों की आय को स्थिर करने के अपने अनूठे उद्देश्य को पूरा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए विसंगतियों को दूर करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) देश में खरीफ 2016 सीजन से आरंभ की गई है तथा यह राज्यों और किसानों के लिए स्वैच्छिक है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए अत्यंत कम प्रीमियम पर, फसलों की बुवाई के पहले से लेकर फसलोपरांत चरणों तक, सभी गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखिमों के सापेक्ष किसानों की फसलों के लिए व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है। पीएमएफबीवाई योजना किसानों की आय को, विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा प्रभावित मौसमों/वर्षों/क्षेत्रों में स्थिर करने की दृष्टि से वित्तीय सहायता प्रदान करने सहित अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है। वर्ष 2016-17 में योजना की शुरुआत से लेकर 2021-22 तक, किसानों द्वारा भुगतान किए गए 25,183 करोड़ रुपये के प्रीमियम के सापेक्ष इस योजना के तहत 1,30,403 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

(ग): इस योजना की, विशेष रूप से इसके प्रचालन कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए, हितधारकों के परामर्श से नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तदनुसार, विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के उपरांत, योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों को क्रमशः रबी 2018 सीजन और खरीफ 2020 सीजन से संशोधित और पुर्नोत्थान किया गया। किए गए प्रमुख सुधारों में, सभी किसानों के लिए योजना को स्वैच्छिक बनाना; बीमा कंपनियों द्वारा एकत्रित सकल प्रीमियम का कम से कम 0.5% को सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के लिए अनिवार्य उपयोग किया जाना; प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग, पूर्वोत्तर में केंद्र और राज्य सरकार के बीच 50:50 के वित्तीय साझेदारी पैटर्न को बदलकर 90:10 किया जाना; बीमा कंपनियों को लंबी अवधि अर्थात 3 वर्ष का अनुबंध; राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जोखिम कवर चुनने की स्वतंत्रता; प्रौद्योगिकी का उपयोग, आदि शामिल हैं।

******